कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट–04/2020–33 दिनांक : 25.01.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत उधवा झील पक्षी आश्रयणी का विकास एवं रख–रखाव हेतु कुल **रू0 11.257 लाख (ग्यारह लाख पच्चीस हजार सात सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–18/2020–21/स्वी0 व0प0 दिनांक 21.12.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0–18/2020–41/आ0 व0प0 दिनांक 21.12.2021 तथा विभागीय पत्रांक 04/यो0 बजट–18/2020–26/स्वी0 व0प0 दिनांक 19.01.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–61 वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 11.257 लाख (ग्यारह लाख पच्चीस हजार सात सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110161010103	10.207
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110161010323	1.050
कुल :–		**11.257**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110161010103, 19S24060110161010323 एवं 19S24060110161010331 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4 (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जाए।

(II) राशि की निकासी संबंधित जिला में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

(III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड होंगे।

6. (I) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमण्डलीय लेखा में प्रवृष्टि की समीक्षा करेंग एवं समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

(III) नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्यान्यिन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यता हो, तद्नुसार निर्देश इस स्तर से प्राप्त करना चाहेंगे।

(IV) नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाए यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(IV) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जाएगा।

(V) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदानी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाए। यह राशि कोषागार में जमा दी जाए। कंउम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

7. Monitoring : विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जाएगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2021–22 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार Monitor, भारत सरकार के पैर्टन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

8. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाए।

(V) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के अपने पत्रांक 1372 दिनांक 01.09.2021 द्वारा प्रस्तावित कार्यों के विरूद्ध तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन प्राप्त होने की सूचना दी है, परन्तु तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित कार्यों का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के अनुरूप ही राशि का व्यय सुनिश्चित रखेंगे।

(VI) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाए। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MANREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करावें।

(VII) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाए।

(IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चत करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(X) कंडिका–IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् मशीन एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाएगा।

(III) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाए। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाए। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाए।

10. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जाएगा उनके Social distancing तथा उनके मास्क का पयोग अनिवार्य रखा जाएगा। हैन्डवास इत्यादि की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए।

11. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं कंडिका–12 के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देंखे कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध रशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके

निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरणीकरण न हों।

13. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686 दिनांक 05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542 दिनांक, दिनांक 11.03.2015 के अनुरूप किया जाएगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–04/2020–33** दिनांक–**25.01.2022**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–04/2020–33** दिनांक–**25.01.2022**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—1

वित्तीय वर्ष 2021—22 में कार्यान्ति की जाने वाली "वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(मजदूरी दर : रू0 311.33 प्रति दिन)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण'	वित्तीय लक्ष्य (रू0 लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	3	4	5	6	7
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	उधवा झील पक्षी आश्रयणी	**पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)**			
		जल कुम्भी की सफाई (पतोरा एवं बरहेल झील) एवं नौकायान हेतु Jetty से उधवा नाला तक सफाई एवं गहरीकरण का कार्य।	5.000	0.250	5.250
		वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा संबंधी कार्य (Protection Measures)			
		आश्रयणी क्षेत्र में मछली एवं पक्षी के अवैध शिकार को रोकने हेतु पेट्रोलिंग की व्यवस्था	4.857	0.500	5.357
		वन्यप्राणी के मोनिटरिंग एवं उनके ईलाज से संबंधित कार्य			
		पक्षियों का वार्षिक गणना	0.350	0.300	0.650
		योग :—	**10.207**	**1.050**	**11.257**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\kaushal\performas\WCC 2021-22

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है
।

पत्र संख्या - 01/YB-18/2021/33 दिनांक - 25-Jan-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	74339	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 03 - मजदूरी	1,020,700.00 रुपये दस लाख बीस हजार सात सौ
2	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	74341	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	105,000.00 रुपये एक लाख पॉच हजार

योग: रुपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार सात सौ 1,125,700.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 59,97,144.57 Run Date: 25/1/2022